

पत्र सं० 8बी/यू.सी.पी/06/220/2015/2068

दिनांक: /03/2016

२९

सेवा में,

मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड,
देहरादून।

विषय: जनपद— चम्पावत में मूलाकोट —काण्डे— भूइया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.15 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक— 2121/FP/UK/ROAD/13608/2015
दिनांक 10.03.2017.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ ROAD/13608/2015 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1274/X-4-15/1 (647)/2015 दिनांक 29.12.2015 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

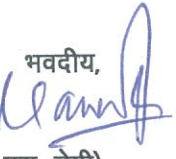
प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-05.09.2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद—चम्पावत में मूलाकोट —काण्डे— भूइया मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.15 है० वन भूमि के लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 6.30 है० (5.300 है० ग्राम बिबिल सिविल सोयम भूमि एवं 1.00 है० ग्राम निडिल सिविल) सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 6.30 है० (5.300 है० ग्राम बिबिल सिविल सोयम भूमि एवं 1.00 है० ग्राम निडिल सिविल) सिविल सोयम भूमि को वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित व नामान्तरित कर दिया गया है। इसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत छः माह के अन्दर आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। नोडल अधिकारी को अधिसूचना की एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।
4. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 44 से अधिक न हो।
8. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
9. सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी का उत्तरदायित्व होगा।
13. ऐसी कोई अन्य शर्त जो भविष्य में क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं वन्य जीवों आदि के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

इस स्वीकृति में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा सन्तोषजनक अनुपालन नहीं होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

(एम.एस. नेगी)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(एम.एस. नेगी)
वन संरक्षक